



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 947]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 2012/ज्यैष्ठ 1, 1934

No. 947]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 2012/JYAISTHA 1, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2012

का.आ. 1150(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 10 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1174(अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—

(क) क्रम संख्यांक 17 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"17	मैसर्स ईदमा लैबोरेट्रीज लिमिटेड, 391, इन्डस्ट्रियल एरिया फेज-1, पंचकुला-160019 (हरियाणा)	(1) डॉ. पी. के. अग्रवाल (2) श्री निरंजन देव बहल (3) श्री प्रेम कुमार	22-5-2012 से 21-5-2017";

(ख) क्रम संख्यांक 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"97	मैसर्स मिन मैक आर. एण्ड डी. लैबोरेटरी, ए-121, पर्यावरण कॉम्प्लेक्स, इग्नू रोड, नई दिल्ली-110030	(1) श्री बी. डी. शर्मा (2) डॉ. मरिश शर्मा (3) डॉ. रतन कुमार	22-5-2012 से 21-5-2017
98	मैसर्स भगवती इन्वायरो केयर प्रा. लि., 28, 29 एण्ड 30, परमेश्वर एस्टेट-2, फेज-1, एमको बैंक के सामने, जीआईडीसी एस्टेट, वात्वा, अहमदाबाद-382445 (गुजरात)	(1) श्री शैलेश पटेल (2) श्री महेश ओझा (3) श्री राजेश चौहान	22-5-2012 से 21-5-2017";

[फा. सं. वयू-15018/7/2003-सीपीडब्ल्यू]

अजय त्यागी संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक का.आ. 1174 (अ), तारीख 18 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्तर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1539(अ), तारीख 13 सितंबर, 2007, का.आ. 1811(अ), तारीख 24 अक्टूबर, 2007, का.आ. 55(अ), तारीख 9 जनवरी, 2008, का.आ. 428(अ), तारीख 4 मार्च, 2008, का.आ. 865(अ), तारीख 11 अप्रैल, 2008, का.आ. 1894(अ), तारीख 31 जुलाई, 2008, का.आ. 2728(अ), तारीख 25 नवंबर, 2008, का.आ. 1356(अ), तारीख 27 मई, 2009, का.आ. 1802(अ), तारीख 22, जुलाई, 2009, का.आ. 2399(अ), तारीख 18 सितंबर, 2009 का.आ. 3122(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2009, का.आ. 3123(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2009 और का.आ. 142(अ), तारीख 21 जनवरी, 2010 का.आ. 619(अ), तारीख 19 मार्च, 2010, का.आ. 1662 (अ), तारीख 13 जुलाई, 2010, का.आ. 2390(अ), तारीख 30 सितंबर, 2010, का.आ. 2904(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2010, का.आ. 181(अ), तारीख 28 जनवरी, 2011, का.आ. 692(अ), तारीख 5 अप्रैल, 2011, का.आ. 1537(अ), तारीख 6 जुलाई, 2011, का.आ. 1754(अ), तारीख 28 जुलाई, 2011, का.आ. 2609(अ), तारीख 22 नवंबर, 2011, का.आ. 264(अ), तारीख 13 फरवरी, 2012 द्वारा उसमें पश्चात्तर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2012

S.O. 1150(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 12 and Section 13 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 10 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments the further to amend notification of Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007, namely:—

2. In the Table appended to the said notification,—

(a) In serial number 17, for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"17	M/s. Idma Laboratories Ltd., 391, Industrial Area, Phase-I, Panchkula-160019 (Haryana)	(1) Dr. P.K. Aggarwal (2) Mr. Niranjana Dev Bahl (3) Mr. Prem Kumar	22-5-2012 to 21-5-2017";

(b) after serial number 96, and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"97	M/s. Min Mec R&D Laboratory, A-121, Paryavaran Complex, IGNOU Road, New Delhi-110030	(1) Shri B. D. Sharma (2) Dr. Marisha Sharma (3) Dr. Ratan Kumar	22-5-2012 to 21-5-2017
98	M/s. Bhagwati Enviro Care Pvt. Ltd., 28, 29 and 30, Parmeshwar Estate-II, Phase-I, Opp. AMCO Bank, GIDC Estate Vatva, Ahmedabad-382445 (Gujarat)	(1) Mr. Shailesh Patel (2) Mr. Mahesh Oza (3) Mr. Rajesh Chauhan	22-5-2012 to 21-5-2017";

[F.No. Q.-15018/7/2003-CPW]

AJAY TYAGI, Joint Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 1174(E), dated the 18th July, 2007, and subsequently amended vide notification numbers S.O. 1539(E), dated the 13th September, 2007, S.O. 1811(E), dated the 24th October, 2007, S.O. 55(E), dated 9th January, 2008, S.O. 428(E), dated the 4th March, 2008, S.O. 865(E), dated the 11th April, 2008, S.O. 1894(E), dated the 31st July, 2008, S.O. 2728(E), dated the 25th November, 2008, S.O. 1356(E), dated the 27th May, 2009, S.O. 1802(E), dated the 22nd July, 2009 and S.O. 2399(E), dated the 18th September, 2009 and S.O. 3122(E), dated the 7th December, 2009 and S.O. 3123(E), dated the 7th December, 2009, S.O. 142(E), dated the 21st January, 2010, S.O. 619(E), 19th March, 2010, S.O. 1662(E), dated the 13th July, 2010, S.O. 2390(E), dated the 30th September, 2010, S.O. 2904(E), dated the 8th December, 2010 and S.O. 181(E), dated the 28th January, 2011, S.O. 692(E), dated the 5th April, 2011, S.O. 1537(E), dated the 6th July, 2011, S.O. 1754(E), dated the 28th July, 2011 S.O. 2609(E), dated the 22nd November, 2011. S.O. 264(E), dated the 13th February, 2012.